राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :निदे/मु.नि.द.यो./मशीन विद मैन (स्वीकृति)/2024/194 दिनांकः 16/03/2024

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषयः–मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजनान्तर्गत संविदा मशीन विद् मैन की वर्ष 2024–25 हेतु सेवाऐं लिये जाने की स्वीकृति बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजनान्तर्गत संविदा आधारित कुल 4698 (4396+302) मशीन विद् मैन की सेवाऐं वर्ष 2024–25 (01.03.2024 से 28.02.2025) में संविदा पर लिये जाने की स्वीकृति, वित्त विभाग की पूर्व आईडी संख्या 152000080 दिनांक 06.02.2020, आईडी संख्या 152000711 दिनांक 06.08.2020 एंव संयुक्त शासन सचिव चि0स्वा0(ग्रुप–2) विभाग के स्वीकृति आदेश क्रमांक पं022(01)चि.स्वा./2/2023 दिनांक 14.03.2024 (स्वीकृति संख्या 155/2023–23) द्वारा प्राप्त हुई है कि पालना में 4698 संविदा मशीन विद मैन की सेवाऐं वर्ष 2024–25 (01.03.2024 से 28.02.2025) में लिये जाने हेतु निम्न शर्तो के अध्याधीन संलग्न परिशिष्टि 'अ' पर अंकित संस्थानवार स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

1- Actual need will be assessed by the department as its own level (i.e. need based deployment only).
2- Relevant Rules i.e. FD (G&T) circular Dated 30.04.2018 may be complied with while taking services.
3- ऐसे प्रकरण जिनमें पक्षकारों के पक्ष में प्रभावी निर्णय/ओदश है एवं सक्षम स्तर से नो–अपील का निर्णय लिया जा चुका है। इन प्रकरणों में न्यायालय के आदेश/निर्णय की पालना के अलावा कोई विकल्प नही होगा, ऐसे प्रकरणों में यदि निर्णय एवं परिपत्र दिनांक 30.04.2018 में विरोधाभास है तो निर्णय की पालना करनी होगी अथवा अपीलीय न्यायालय से उचित निर्देश लेने होगे।
4- माननीय उच्च न्यायालय में अधिकतर निर्णयों में यह अंकित किया गया है कि संविदा श्रमिकों को दूसरे श्रमिकों से नियमित कार्मिक उपलब्ध होने तक रिप्लेस नहीं किया जावे। इस प्रकार इन संविदा श्रमिकों की अवधि नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक ही है।
5- इस प्रकार के लम्बित प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.04.2018 के अनुसार जवाब प्रस्तुत कराये जाने चाहिए।
6- जहाँ तक आर.एम.आर.एस. से रखे जाने के बारे में प्रस्ताव है, विभाग को इस प्रकार निर्णय लेना चाहिए कि माननीय उच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवमानना नहीं हो।
7- वित्त विभाग के आदेशानुसार संविदा आधारित मशीन विद मैन की सेवायें 28.02.2025 तक ही मान्य होगी।
8- संविदा मशीन विद मैन की सेवायें **मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजना से सम्बधित बजट मद 2210 में 41 संविदा सेवाओं के अन्तर्गत दवा वितरण केन्द्रों में ली जानी है।** मशीन विद मैन का मानदेय का भुगतान वित्त विभाग के दिनांक 30.04.2018 के परिपत्र के अनुसार प्रतिमाह करना होगा साथ ही **कोर्ट स्टे से आर.एम.आर.एस. के माध्यम से रखे गये संविदा मशीन विद मैन का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार किया जायेगा।**
9- संलग्न सूची में यदि किसी चिकित्सालय में मशीन संविदा मशीन विद मैन का पद सृजित है और इस स्वीकृति में सम्मिलित नही है, की स्वीकृति के प्रस्ताव निदेशालय को 7 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें।
10- संविदा मशीन विद मैन का निर्धारित कार्य प्रतिदिन ई–औषधि सॉफ्टवेयर में रोगी दवा पर्चियों का शत प्रतिशत इन्द्राज किया जाना है।
11- **संवेदक द्वारा नियोजित संविदा मशीन विद मैन का मानदेय भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बधित संवेदक द्वारा नियोजित संविदा मशीन विद मैन के बैंक खातें में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। संविदा मशीन विद मैन के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।**
12- श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बधित संवेदक का होगा।

13- यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये संविदा मशीन विद मैन के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिये उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एव राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

14- यदि उक्त नियमों के अधीन किसी चिकित्सा संस्थान पर स्वीकृति जारी नही कि जानी थी, परन्तु स्वीकृति जारी हो गई है तो उन चिकित्सा संस्थानों की सूची निदेशालय को 7 दिवस में भिजवाये।

उक्त स्वीकृति वित्त व्यय–1 विभाग की आईडी संख्या 152400442 दिनांक 11.03.2024 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

नोटः–विभागीय स्वीकृति आदेश क्रमांक निदे/मु.नि.दे.यो./2024/172 दिनांक 29.02.2024 से जारी स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहारित किया जाता है।

संलग्नः– जिलेवार एवं चिकित्सा संस्थावार स्वीकृत पदों की सूची संलग्न है।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

क्रमांक :निदे/मु.नि.द.यो./मशीन विद मैन (स्वीकृति)/2023/194 दिनांकः 16/03/2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चि0 एवं स्वा0 एवं प0 क0 विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, मिशन निदेशक, एनएचएम चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग राज0 जयपुर को उनके द्वारा जारी स्वीकृति दिनांक 14.03.2024 (स्वीकृति संख्या 155/2023–23) के क्रम में।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
6. नोडल अधिकारी, एनयूएचएम, एनएचएम, मुख्यालय।
7. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें समस्त जोन, राजस्थान।
8. समस्त जिला परियोजना संमन्वयक, जिला औषधि भण्डार गृह समस्त राजस्थान।
9. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा0)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राज0 जयपुर

RajKaj Ref
6178310

Document certified by RAVI PRAKASH MATHUR <rpm272004@yahoo.co.in>.

Digitally Signed by RAVI PARKASH MATHUR
Designation : Director
Date :16-03-2024 12:49:02